डरें नहीं
सहे नहीं
1098

कन्या सुमंगल योजना परिचय व आवश्यकता :-

कन्या सुमंगल योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना समानलैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है ।

''कन्या सुमंगल योजना दिनांक 01-04-2019 से लागू की गई है ।

- प्रदेश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करना।
- प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना।
- प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करना।
- बाल-विवाह की कुप्रथा को रोकना ।
- नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा उत्तर प्रदेश से बालिका के जन्म के प्रति आमजन में सकारात्मक सोच विकसित करना व उनके उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखना।

कन्या सुमंगल योजना के मुख्य उद्देश्य :-

- कन्या सुमंगल योजना 06 श्रेणियों में निम्नवत् लागू की गयी हैं।

1. प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1-4-2019 या उसके पश्चात हुआ हो, को लाभान्वित किया जायेगा।
2. द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01-04-2019 से पूर्व न हुआ हो।
3. तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो।
4. चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छटी कक्षा में प्रवेश लिया हो।
5. पंचम श्रेणी के अन्तर्गत वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो।
6. षष्टम श्रेणी के अन्तर्गत वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में लिया हो।

कन्या सुमंगल योजना का लाभ दिये जाने का विवरण :-

प्रथम श्रेणी	बालिका के जन्म होने पर	रु0 2000 एक मुश्त
द्वितीय श्रेणी	बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त	रु0 1000 एक मुश्त
तृतीय श्रेणी	कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रु0 2000 एक मुश्त
चतुर्थ श्रेणी	कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रु0 2000 एक मुश्त
पंचम श्रेणी	कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रु0 3000 एक मुश्त
षष्टम श्रेणी	ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो।	रु0 5000 एक मुश्त

कन्या सुमंगल योजना की पात्रता की शर्तें :-

- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थाय निवास प्रमाण-पत्र हो, जिसमें राशन-कार्ड/आधार-कार्ड/ वोटर पहचान-पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
- लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0-3.00 लाख हो
- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों की योजना का लाभ मिल सकेगा।
- लाभार्थी के परिवार का आकार (साईज)-परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
- यदि किसी महिला के द्वितीय, प्रसव से जुड़वां बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमान्य होगा ।
- किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

- बालिका स्वयं (यदि व्यस्क हो), माता/पिता या अभिभावक आवेदक हो सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन आवेदन कॉमन सर्विस केन्द्रों/साइबर कैफे/स्वयं के स्मार्टफोन या कम्प्यूटर आदि के माध्यम से।
- ऑफलाइन आवेदन- ऑफलाइन आवेदन फार्म खण्ड विकास अधिकारी/एस0डी0एम0/जिला प्रोबेशन अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय/विभागीय वेबसाइट/कन्या सुमंगल पोर्टल से निःशुल्क प्राप्त करे जा सकेंगे ।
- ऑनलाइन आवेदन खण्ड विकास अधिकारी/एस0डी0एम0/जिला प्रोबेशन अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। उक्त अधिकारी सभी आवेदन जिला परिवीक्षा अधिकारी को ऑनलाइन फीड करने हेतु अग्रसरित करेंगे ।
- डाक द्वारा भेजे गए प्रार्थना-पत्र किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
- योजना की कुल 06 श्रेणियों में लाभ प्राप्त करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थी पात्र होने पर किसी भी श्रेणी में सीधे आवेदन कर सकता है ।
- आवेदक को पहली बार आवेदन करने पर प्राप्त पहचान-पत्र संख्या/ आई0डी0 नम्बर/ प्राप्ति संभाल कर रखना होगा व अन्य श्रेणियों का लाभ लेने हेतु उसी पहचान संख्या/आई0डी0 नम्बर से लॉन-इन करेंगे/ ऑफलाइन आवेदन करेंगे ।
- ऐसा करने पर उसे सिर्फ उसी श्रेणी हेतु माँगे गये निर्धारित फार्म भरना होगा एवं दस्तावेज अपलोड/संलग्न करने होंगे व प्रत्येक बार पूरा फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी ।
  साथ में सामान्य दस्तावेज जो पहले अपलोड/संलग्न किये जा चुके हैं उन्हें भी पुनः अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहली बार आवेदन करने/अपलोड होने पर प्राप्त रसीद से योजना के अन्तर्गत आगे प्राप्त होने वाले सभी लाभों का विवरण भी अंकित होगा।

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित पेंशन योजना :-

महिला कल्याण विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) के आवेदनों का चिन्हांकन कर उनके बैंक खाते में धनराशि सीधे उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से लाभान्वित किया गया। जो भी पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला शर्तों के अनुसार पात्र हैं तो वह लोकवाणी केन्द्र, जनसुविधा केन्द्र से www.sspy-up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के उपरान्त मूल आवेदन-पत्र ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करें तथा शहरी क्षेत्र के आवेदन की मूल प्रति तहसील में उपजिलाधिकारी कार्यालय में जमा करें।

विधवा पेंशन हेतु पात्रता निम्नवत् है :- आयु 18 वर्ष से कम न हो, आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से रुपए दो लाख से अधिक न हो, आधार कार्ड की प्रति बैंक पासबुक की प्रति आवेदक के पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एक फोटो होना अनिवार्य है, मोबाईल नं0 होना अनिवार्य है।

जिला बाल संरक्षण इकाई/विशेष किशोर पुलिस इकाई :-

बच्चों जब भी कोई आपको गलत तरीके से छुए तो चुप नहीं रहना, हम से कहना ।

- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार की यौन हिंसा से सुरक्षा के लिए विशेष कानून (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पाक्सो एक्ट)
- इस कानून के तहत बच्चों के खिलाफ हो रहे किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध की सुचना स्थानीय पुलिस को देना अनिवार्य है।
- अपराधी पाये जाने पर मुजरिम को तीन साल से लेकर उम्र कैद की सजा व आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।

आप निम्नलिखित तरीकों से इसकी सुचना दे सकते हैं :-

- आप इन नम्बरों पर कॉल कर सकते हैं :- 1098, 100, 1090, 181 तथा पोक्सों हेल्पलाइन जहाँ पर आपका नाम व पता गुप्त रखा जायेगा।
- राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की बेबसाइट (NCPCR) (Hyperlink "http:/www.ncpcr.gov.in") पर लॉगइन कर POCSI E-Box में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जहाँ पर आपका नाम व पता गुप्त रखा जायेगा।
- आप अपने जनपद के बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर पुलिस इकाई एवं खण्ड व ग्राम स्तर पर बनी बाल संरक्षण समितियों को भी सूचित कर सकते हैं।

दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता :-

- दहेज से पीड़ित महिलाओं को जिनके भरण-पोषण हेतु कोई आय का स्त्रोत न हो उन्हें मुकदमे की पैरवी हेतु रु0 2500/- की एक मुश्त सहायता देने का प्राविधान है।

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) :-

- इसके अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समितियाँ, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाइल्ड लाइन सेवायें देने का प्राविधान है।

उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष :-

- उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना 160 करोड़ की लागत से की गई है इसके अन्तर्गत जघन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं की आर्थिक क्षतिपूर्ति एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गयी है। साथ ही विभिन्न पेंशन योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं एवं उनके आश्रित नाबालिग बच्चों को चिकित्सा एवं शिक्षा सम्बन्धी सुविधा प्रदान की गयी है।

प्रवर्तकता कार्यक्रम :-

- बच्चे को परिवार से पलायन रोकने और उसकी शिक्षा जारी रखने हेतु प्रवर्तकता कार्यक्रम के तहत ऐसे परिवार के बच्चों को सहायता दी जाती है जिसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में 56460/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं हो उन परिवारों में अधिक से अधिक 02 बच्चों को समर्थ बनने हेतु रु0 2000/- प्रतिमाह प्रति बच्चा दिये जाने का प्राविधान है।

पालन-पोषण देखभाल :-

- पालन-पोषण देखभाल प्रबन्धक संयुक्त रूप से बाल कल्याण समिति जिला बाल संरक्षण इकाई तथा विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी द्वारा किया जाता है।

नोट - अतः सभी को सूचित किया जाता है कि अधिक जानकारी के लिए जिला प्रोबेशन कार्यालय विकास भवन कमरा नं0 129 में सम्पर्क करें।
सम्पर्क सूत्र - 7518024013, 05832-268093

जिला प्रोबेशन अधिकारी
बदायूँ।

मुख्य विकास अधिकारी
बदायूँ।

जिलाधिकारी
बदायूँ।

बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ।